

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/ 382

जयपुर, दिनांक: 09/01/15

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर पंचायत)
राजस्थान।

विषय:- पंचायती आम चुनाव, 2015- उपसरपंच चुनाव हेतु मतपत्र के संबंध में।

महोदय,

आयोग द्वारा पंच एवं सरपंच के चुनाव हेतु सांविधिक आदेश संख्या 99/2014 एवं उपसरपंच के चुनाव हेतु सांविधिक आदेश संख्या 102/2014 से मतपत्रों की डिजाइन के संबंध में निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेशों में सरपंच पद के मतपत्र एवं उपसरपंच पद के मतपत्र में सिवाय इसके कि, वाक्यांश "सरपंच चुनाव" या "उपसरपंच चुनाव" पहले शेडेड एरिया में अंकित है, अन्य कोई अन्तर नहीं है।

अतः आप द्वारा सरपंच पद के लिए मुद्रित मतपत्रों में से आवश्यकतानुसार उपलब्ध अतिरिक्त मतपत्रों पर "सरपंच" के आगे हाथ से "उप" शब्द लिखकर इन मतपत्रों को उपसरपंच के चुनाव में काम में लें।

भवदीय

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव, 09/01/15